सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 07 / 2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

मांगीलाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्मण साकिन बारह गुवाड़ नथानियों की सराय रंगों की गली बीकानेर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री मूलचन्द आचार्य अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 30.08.2018

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 417–500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203 / 46 में कुल रकबा 10 बीघा भूमि जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2030–2033, मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005, जमाबंदी संवत 2068–2071 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय 24.01.1990 के द्वारा मांगीलाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्मण साकिन बारह गुवाड़ नथानियों की सराय रंगों की गली बीकानेर को विशेष आवंटन में आवंटन कर दी, जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि दर्ज है। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 417–500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/46 में कुल रकबा 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि राजस्व रेकार्ड संवत 2030–2033, मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005, जमाबंदी संवत 2068–2071 में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 24.01.1990 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5– अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक चक 417–500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/46 में कुल रकबा 10 बीघा अनकमाण्ड दिनांक 1975 को गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड था। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी जो नियमन विरूद्ध है जिस तरह से लिखा गया है, अस्वीकार है। डी0बी सिविल जनहित याचिका के आदेश दिनांक 2.8.2004 की व्याख्या गलत रूप से की गई है। प्रस्तुत मामले में किस्म परिवर्तन नहीं हुई, ना ही आवंटन अवैध है। आवंटन आदेश विधि विरूद्ध नहीं है। उपनिवेशन अधिनियम 1954, उपनिवेशन क्षेत्र हेतु राज्य की विधायिका (Legislature) ने पारित किया है। जहां उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके तहत बने नियमों में जहां प्रावधान हो, वहां राजस्थान काश्तकारी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूरे राजस्थान राज्य में लागू किया गया है। जबकि उपनिवेशन अधिनियम केवल उपनिवेशन क्षेत्र के लिए ही हे। इस प्रकार उपनिवेशन अधिनियम एवं उसके तहत बने नियम विशेष क्षेत्र में लागू होते है। उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 5 में जोहड़ पायतन को आवंटन करने के प्रावधान है तथा नियम 6 (2) के उप पैरा 1 के (ii) में विलेज आबादी, जोहड़, टैंक को रिर्जव रखने का प्रावधान है। जोहड़ पायतन की भूमि को नियम 17 के परन्तुक में जोहड पायतन के आवंटन हेतु कीमत तय की गई है तथा नियम 7 के उपनियम म 6 (ए) में आवंटन के बाद किस तरह से आवंटन राशि वसूल की जायेगी के प्रावधान रखे गये है। उपनिवेशन क्षेत्र में जोहड़ को रिर्जव रखने का प्रावधान किया गया है। उपनिवेशन क्षेत्र में नहर का पानी उसमें (जोहड़) भरा जा सकता है। वर्षा के पानी से जोहड़ को भरने की आवश्यकता नहीं है इसलिए जोहड़ पायतन भूमि के आवंटन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रखी गई है। बल्कि जोहड़ पायतन के आवंटन के प्रावधान रखे गये है। विधायिका ने (Legislature) जोहड़ पायतन की भूमि के आवंटन हेतु रिर्जव प्राईस की चार गुणा की दर से रखी गई है। क्योंकि सिंचित क्षेत्र में जोहड़ पायतन की आवश्यकता नहीं होती है। जहां बारानी भूमि हो वहां वर्षा का पानी जोहड़ में भरा जाता हो वहां जोहड़ पायतन आवंटन नहीं किया जा सकता है। उसको रिर्जव रखा जाता है। अप्रार्थी सद्भावी केता है। रेफरेंस मियाद बाहर 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आबंटन आदेश एवं खातेदारी अधिकारों को रेफरेंस के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट के उल्लंघन के कारण विधि से मियाद बाहर होने से रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005 में खसरा नम्बर 21 की 432 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोहड़ पायतन की भूमि दर्ज है। जमाबन्दी संख्या 2030 में खसरा नम्बर 21/2 की 269 बीघा 1 बिस्वा जोहड पायतन दर्ज है। मुताबिक उपनिवेशन विभाग सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 21/2 की 432 बीघा 16 बिस्वा से अन्य रकबे के अलावा प्रश्नगत

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

भूमि मुरबा नम्बर 203/46 की भूमि भी पैमूद हुई है तथा जमाबंदी संवत 2068–2071 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण संख्या 23 में भी जोहड पायतन से अप्रार्थी के नाम भूमि गैर खातेदारी दर्ज हुई है। जबकि प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 417–500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/46 में कुल रकबा 1 ता 10 कुल 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि की बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.1990 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8– उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9– आदेश आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. बीकानेर कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner